अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0/नि0चि0प्रति0/2024/2786-6 दिनांक : 23/02/2024

प्रबन्धक/संचालक
समस्त निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान
जनपद लखनऊ।

विषय : जनपद में संचालित समस्त निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के वर्ष 2024–25 में नवीनीकरण/पंजीकरण किये जाने एवं मानक के अनुरूप संचालित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या मु0चि0अ0/नि0चिकि0/2023/4884–6 दिनांक 29.04.2023 एवं पत्र संख्या मु0चि0अ0/निजी0चिकि0प्रति0/2022/14276–5 दिनांक 28.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके क्रम में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा प्रतिष्ठानों के वर्ष 2024–25 में नवीनीकरण/पंजीकरण किये जाने एवं मानक के अनुरूप संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1. चिकित्सालय के प्रभारी/कार्यरत एलोपेथिक चिकित्सक का नाम, विशेषज्ञता एवं मो0न0 सहित चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अंकित/प्रदर्शित होना चाहिये साथ ही चिकित्सालय में ओ0पी0डी0 करने वाले चिकित्सकों की ओ0पी0डी0 करने का समय बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिये।
2. चिकित्सालय में भर्ती मरीज की बी0एच0टी0 पर उपचार करने वाले पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सक का प्रत्येक दिवस का दिया गया परामर्श एवं उपचार का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिये। चिकित्सा प्रतिष्ठान में पर्सन इन्चार्ज के रूप में फुल टाइम एलोपैथिक चिकित्सक ही पंजीकृत होगें।
3. चिकित्सालय की इमरजेंसी में चिकित्सीय कार्य सम्पादित करने वाले आकस्मिक चिकित्सक (ई0एम0ओ0) की 24 घण्टे ड्यूटी का रोस्टर, मुख्य द्वार पर नाम, मो0नं० सहित प्रतिदिन प्रदर्शित होना चाहिये।
4. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी नयी सूचना के अनुसार चिकित्सालय में पंजीकृत पैरामेडिकल स्टॉक (प्रशिक्षित) द्वारा ही कार्य लिया जाये।
5. चिकित्सालय में चिकित्सा प्रतिष्ठान के पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र से सम्बन्धित पत्रावली हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिये।
6. **चिकित्सालय में अपशिष्ट निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।**
7. **चिकित्सालय में आकस्मिकता की स्थिति में फॉयर एक्जिट एवं फॉयर फायटिंग उपकरण की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता होना अनिवार्य है। समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान अपने चिकित्सा प्रतिष्ठानों के फायर आडिट करवाते हुए फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र पोर्टल पर नवीनीकरण आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें।**
8. **समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान अपने चिकित्सा प्रतिष्ठानों की विधुत सरक्षा विभाग से एन0ओ0सी0/सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।**
9. चिकित्सालय में यदि ओ0पी0डी0 एवं भर्ती मरीजों में संक्रामक रोग की पुष्टि होती है तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की ई–मेल आई0डी0 एवं आई०डी०एस०पी० पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाये, साथ ही प्रसव, नियमित टीकाकरण किये जाने की सूचना, जन्म एवं मृत्यु से सम्बन्धित सूचना, अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत नेत्र चिकित्सालयों में होने वाले आँख के आपरेशन की सूचना निरन्तर रूप से सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. जनपद की समस्त पैथालॉजी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्यरत/पंजीकृत चिकित्सक एवं टेक्नीशियन का नाम, मो0न0 मुख्य द्वार पर प्रदर्शित होना चाहिये, साथ ही मरीजों की जाँच में यदि डेंगू (एलाईजा विधि से कराया जाये) मलेरिया, कोविड–19 एवं अन्य संक्रामक रोगों की पुष्टि होती है तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध एवं सम्बन्धित पोर्टल पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. **समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन पत्र भरते समय सभी प्रविष्टियां सही एवं निर्धारित कालम में भरे। चिकित्सा प्रतिष्ठान के संचालक/प्रबन्धक अपना नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 स्वयं की ही भरे।**
12. **चिकित्सा प्रतिष्ठान में पर्सन इन्चार्ज (एलोपैथिक चिकित्सक) का मोबाइल नम्बर एवं ई0मेल आई0डी0 अंकित किया जाए। संस्थान के प्रबन्धक/संचालक या अन्य किसी का नम्बर उक्त कालम में न अंकित किया जाए।**
13. निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने पर चिकित्सालय में पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सक (ई0एम0ओ0) उपलब्ध न मिलने पर उक्त चिकित्सा प्रतिष्ठान का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

14. **समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ के हस्ताक्षर से ही शपथ पत्र अपलोड करे एवं शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र स्व हस्ताक्षरित संलग्न करें।**
15. जनपद में पंजीकृत समस्त निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान (हेल्थ फैसिलिटी) एवं सभी चिकित्सकों/स्टाफ नर्स (हेल्थ प्रोफेशनल) को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के उपरोक्त पोर्टल पर पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत किया जाना नितान्त आवश्यक है।
16. समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सकों/पैरामेडिकल कर्मचारियों का विवरण 5 X 3 (15वर्गफुट) का एक डिस्प्ले जिसका बैकग्राउण्ड पीला एवं फॉरमेट हिन्दी अक्षर रंग काला के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित किया जायेगा।
17. समस्त डायग्नोस्टिक सेन्टर/पैथालाजी सेन्टर को निर्देशित किया जाता है कि मरीजों की जॉच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर मूल रूप में सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक से ही कराये, स्कैन हस्ताक्षर अंकित न किये जाए।
18. समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान के प्रबन्धक/संचालक, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ का एक वर्ष का अनुबन्ध करें जिसकी वैधता तिथि 30.04.2025 तक हो। साथ ही यदि चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ अन्य किसी चिकित्सा प्रतिष्ठान में फुल टाइम कार्यरत है तो उनका अनुबन्ध न किया जाए।
19. समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठान चिकित्सक/पैरामेडिकल/अन्य स्टाफ के सेवा से त्याग पत्र देने पर उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करेगे तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित करेगे।

मुख्य चिकित्साधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु0चि0अ0/नि0चि0प्रति0/2024/ 2786-6 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3. जिला अधिकारी, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, लखनऊ पैथालाजी एसोसिएशन, लखनऊ।

मुख्य चिकित्साधिकारी
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner